

निका आदेश 015 अं. 1157/2020, 9/11/2020

आदेश प्रकृत
 न्यायालय सपजिलाधिकारी तहसील सदर जिला मधुवा

आदेश सं- 01127/2020
 10 निजुआराम विद्या समिति मधुवा प्रोविन्स आरोग्य सुधार समिति मधुवा
 अर्जागत धारा - 80 अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006
 मौजा - बीलतपुर फरह तहसील प जिला मधुवा

आदेश

प्राची अरोग्य सुधार पुत्र श्री निजुआराम विद्यापीठ नटवर नगर, धौली प्याज तहसील मधुवा जिला मधुवा अध्यायक 10 निजुआराम विद्या समिति मधुवा ने उपरोक्त धारा के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कहा है कि मौजा - बीलतपुर फरह खाता नं० 218 खसरा संख्या 824 रकबा 0.514 हे० लगान रुदक में है। उक्त भूमि में कोई भूवि कार्य कुककुट सालन मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है। बल्कि भूमि अधुपक भूमि के रूप में प्रयोग की जा रही है। उक्त आराजी को दिनी विभाग द्वारा अधिनियम नहीं किया गया है। प्राची ने विवादित भूमि मौजा - बीलतपुर फरह खाता नं० 218 खसरा संख्या 824 रकबा 0.514 हे० को अधुपक भूमि घोषित किये जाने एवं अधिलेखों में अमलदारानद किये जाने का निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र के साथ प्राची ने स्वयं का सपथ पत्र एवं विवादित गाटा से सम्बन्धित तहसील खाती भी साबित की है। प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में तहसीलदार मधुवा से जांच-पराची गयी। तहसीलदार मधुवा ने अपनी जांच आख्या दिनांक 08-07-2020 में स्वयं रूप से अंकित किया है कि मौजा - बीलतपुर फरह खाता नं० 218 खसरा संख्या 824 रकबा 0.514 हे० में वर्तमान में कोई भूवि कार्य नालगानी कुककुट सालन मत्स्य पालन आदि कार्य नहीं हो रहा है बल्कि भूमि अधुपक भूमि के रूप में प्रयोग की जा रही है। इस प्रकार तहसीलदार मधुवा ने उक्त भूमि को अधुपक भूमि घोषित किये जाने हेतु जा प्रो राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 के अर्जागत आख्या नियत मय संस्तुति प्रेषित की है। अतः तहसीलदार मधुवा की आख्या के अन्तर्गत उक्त भूमि को अधुपक भूमि घोषित किया जाता है।

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| 1 धारा जिसके अर्जागत धारण की गयी- | 80 उत्तरा राजस्व संहिता 2006 |
| 2 मौजा कहा भूमि है- | मौजा - बीलतपुर फरह |
| 3 खसरा नं०/ रकबा- | खसरा संख्या 824 रकबा 0.514 हे० |
| 4 नु राजस्व- | मधुवा |
| 5 जमानत शर्त- | 1,10,000/-रु० |

CHAIRMAN
 OF PHARMACY
 MITHILA

- 1- प्रतिलिपि सप निबन्धक मधुवा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि मजिस्ट्रेट को एक प्रति उपलब्ध करायी जाये।
- 2- प्रतिलिपि तहसीलदार मधुवा को दो प्रतियों में इस निर्देश के साथ कि अधिलेखों में सुदृष्ट करवाकर एक प्रति उपलब्ध करायी जाये।

आया प्रति-अर्मागित

सप निबन्धक
 (मधुवा)

(कानून) सपजिलाधिकारी
 मधुवा

10 निजुआराम विद्या समिति
 अरुकी (मधुवा)
 अध्यक्ष / मधुवा

सप जिलाधिकारी

7/2020

सप जिलाधिकारी
 मधुवा

सप जिलाधिकारी
 मधुवा

10 निजुआराम विद्या समिति
 अरुकी (मधुवा)
 अध्यक्ष / मधुवा